उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

की ओर से

परिषद के लखनऊ/ मेरठ/ कानपुर/ आगरा/ बरेली/ वाराणसी व गोरखपुर जोन के शहरों की विभिन्न योजनाओं में

- **रिक्त फ्री-होल्ड आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर**
- **रिक्त लीज़ होल्ड शैक्षणिक भूखण्ड एवं सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड भी ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु उपलब्ध**
- **ग्रीन फील्ड टाउनशिप, अयोध्या में भी होटल, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत, नर्सिंग होम, शैक्षणिक भूखण्ड उपलब्ध**

www.up-rera.in/projects

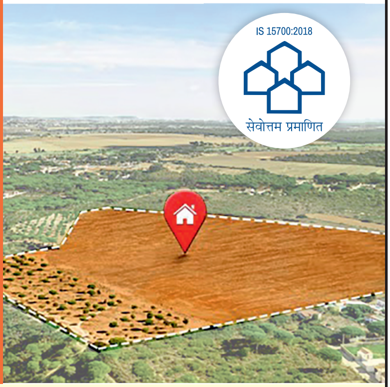

आवासीय सम्पत्तियों हेतु	अनावासीय सम्पत्ति हेतु	शैक्षणिक भूखण्डों हेतु
पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि दि. 29.06.2024 से दि. 08.07.2024 तक	पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा अवधि दि. 29.06.2024 से दि. 09.07.2024 तक	पंजीकरण अवधि:- दिनांक 29.06.2024 से दिनांक:- 29.07.2024 तक पात्रता चयन अवधि:- दिनांक 30.07.2024 से दिनांक:- 05.08.2024 तक टोकन धनराशि अवधि:- दिनांक 06.08.2024 से दिनांक:- 28.08.2024 तक
ई-नीलामी की तिथि दि. 09.07.2024	ई-नीलामी की तिथि दि. 10.07.2024	ई-नीलामी की तिथि दि. 29.08.2024

ई-नीलामी पोर्टल
https://upavpauction.procure247.com/

अधिक जानकारी के लिए लॉग-इन करें:

परिषद की वेबसाईट: www.upavp.in

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें: 8866287104, 9574524058

नियम व शर्तें : (1) मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (2) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (3) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (4) ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है। (5) परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जायेंगी। (6) समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 5 वर्षों के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/ समय वृद्धि शुल्क देय होगा। (7) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय/ शैक्षणिक सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन की जाएंगी।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

Website : https://www.upavp.in, E-mail.: info@upavp.com UPHDBHQ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS